उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 7 | अंक 21 | 1-15 नवंबर 2024 | ₹ 20/-

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक स्वरूप बहाल

- उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम बरकरार
- बलूचिस्तान में हुए आत्मघाती हमले में 30 लोगों की मौत
- इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट बर्खास्त
- 'द सैटेनिक वर्सेज' के आयात पर से प्रतिबंध हटा

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक स्वरूप बहाल 04
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम बरकरार 09
महाराष्ट्र के मुसलमानों से भाजपा के खिलाफ वोट देने की अपील 12
श्रीरंगपट्टनम की जामा मस्जिद में मदरसा चलाने पर आपत्ति 15
'द सैटेनिक वर्सेज' के आयात पर से प्रतिबंध हटा 18

विश्व

बलूचिस्तान में हुए आत्मघाती हमले में 30 लोगों की मौत 20
शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का फैसला 22
फिलिस्तीन समर्थकों पर डच पुलिस की कार्रवाई 23
स्वीडन में कुरान जलाने के आरोपी को सजा 24
जर्मनी और ईरान के संबंधों में तनाव 25
ईरानी एजेंट पर ट्रम्प की हत्या की साजिश रचने का आरोप 27

पश्चिम एशिया

इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट बर्खास्त 29
अरब-इस्लामिक देशों के सम्मेलन में इजरायल पर दबाव बढ़ाने की मांग 31
फिलिस्तीनी हमलावरों के रिश्तेदारों को इजरायल से निष्कासित करने की तैयारी 34
सऊदी अरब में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान 34
कतर द्वारा इजरायल और हमास के बीच मध्यस्थता का प्रयास स्थगित 35

सारांश

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दो महत्त्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं। इन फैसलों का मुस्लिम राजनीति पर दूरगामी असर पड़ेगा। इनमें से एक फैसला बहुचर्चित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) को अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे को लेकर है। गौरतलब है कि एएमयू प्रारंभ से ही विवादों में रहा है। 1875 में तत्कालीन गवर्नर जनरल के सहयोग से सर सैयद अहमद ने मोहम्मडन-एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। इसका लक्ष्य मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना था। यही कारण है कि तत्कालीन मुस्लिम विद्वानों ने इस कॉलेज की स्थापना का विरोध किया था और सर सैयद पर यह आरोप लगाया था कि वे अंग्रेजों के प्रभाव में आकर मुसलमानों की नई पीढ़ी को इस्लाम से दूर कर रहे हैं। इन मुस्लिम विद्वानों ने सर सैयद को 'काफिर' तक घोषित कर दिया था। सबसे रोचक बात यह है कि देश के अधिकांश मुसलमानों की नजर में सर सैयद अहमद सबसे बड़े सेक्युलर नेता हैं। जबकि कड़वी सच्चाई यह है कि सर सैयद अहमद पहले ऐसे नेता थे, जिन्होंने देश के विभाजन का बीज बोया था। उन्होंने अंग्रेजों के इशारे पर मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी।

1920 में ब्रिटिश सरकार ने एक कानून पारित करके मोहम्मडन-एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया और इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रखा गया। 1950 में भारतीय संसद ने इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया। 1951 में संसद ने एएमयू अधिनियम में संशोधन करके विश्वविद्यालय कोर्ट के दरवाजे गैर-मुसलमानों के लिए भी खोल दिए। 1967 में अजीज बाशा केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। इसके बाद मुसलमानों के दबाव पर 1981 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने एएमयू अधिनियम में संशोधन करके इसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दे दिया। 2005 में जब एएमयू के स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठयक्रमों में मुसलमानों के लिए 50 प्रतिशत कोटा आरक्षित करने की घोषणा की गई तो इसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। अदालत ने अजीज बाशा केस का हवाला देते हुए इस आरक्षण को रद्द कर दिया। अदालत के इस फैसले को कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर फैसला सुना दिया है।

दूसरा फैसला इस्लामिक मदरसों के बारे में है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2004 में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को अवैध घोषित कर दिया था। अदालत का यह तर्क था कि इन मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है, जो सेक्युलरिज्म के सिद्धांतों के खिलाफ है। इस फैसले को भी सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस निर्णय को रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को बहाल कर दिया है और इस्लामिक मदरसों को चलाने की अनुमति दे दी है।

पाकिस्तान में बलूचों के शोषण के खिलाफ अनेक बलूच संगठन संघर्षशील हैं। हाल ही में एक प्रमुख विद्रोही संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने क्वेटा रेलवे स्टेशन पर आत्मघाती हमला किया। इस हमले में कम-से-कम 30 लोग मारे गए। जबकि बीएलए सूत्रों के अनुसार मरने वालों की संख्या लगभग 200 है, जिनमें 130 पाकिस्तानी सैनिक भी शामिल हैं। बता दें कि बलूच विद्रोही चीनी नागरिकों और पंजाबियों को चुन-चुनकर अपना निशाना बना रहे हैं।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री कार्यालय के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों को विदेशों के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। विपक्ष का आरोप है कि इजरायल ने ईरान पर हमले का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था उसे ईरान के जासूस ले उड़े हैं। इससे इजरायल द्वारा ईरान पर हमला करने के मंसूबो को भारी झटका लगा है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक स्वरूप बहाल

इंकलाब (9 नवंबर) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने 1967 में अजीज बाशा केस में दिए अपने फैसले को रद्द कर दिया है। तब सर्वोच्च न्यायालय ने यह दलील दी थी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम को संसद द्वारा पारित किया गया था, इसलिए इसके अल्पसंख्यक स्वरूप को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब सर्वोच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 4-3 के बहुमत से अपने उस फैसले को रद्द कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों में से चार ने अपने फैसले में यह तर्क दिया है कि कोई भी संस्थान अपने अल्पसंख्यक स्वरूप को इसलिए नहीं खो देगा, क्योंकि उसे संसद द्वारा पारित किया गया था। किसी संस्थान के अल्पसंख्यक स्वरूप को समझने के लिए न्यायालय को यह विचार करना होगा कि उस संस्थान को किसने स्थापित किया था और उसके पीछे किसकी प्रेरणा थी? अगर ये बातें अल्पसंख्यक समुदाय की ओर इशारा कर रही हैं तो संविधान की धारा 30 के तहत वह संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा करने का हकदार होगा।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में आगे कहा गया है कि संविधान की धारा 30 के अनुसार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं इसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय रेगुलर बेंच करेगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने यह फैसला सुनाया है। जबकि न्यायमूर्ति सूर्यकांत की राय इससे अलग है और उन्होंने अजीज बाशा केस के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने पर जोर दिया है। वहीं, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एससी शर्मा ने भी न्यायमूर्ति सूर्यकांत के दृष्टिकोण का समर्थन किया है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने अपने निर्णय में एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान मानने से इंकार किया है। जबकि न्यायमूर्ति एससी शर्मा ने कहा है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्राप्ति के लिए विशेष संरक्षण की जरूरत नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में कानूनी और संवैधानिक दृष्टिकोण से चार महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने के बाद अपना फैसला सुनाया है। अदालत के सामने सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह था कि संसद द्वारा पारित कानून के आधार पर स्थापित एक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा करने का हक है या नहीं? इसके अतिरिक्त 1967 में अजीज बाशा केस में सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ ने जो फैसला दिया था वह सही है या नहीं? अदालत ने अजीज बाशा केस के फैसले के बाद एएमयू के अल्पसंख्यक स्वरूप को बहाल करने के लिए 1981 में संसद द्वारा पारित संशोधन पर भी विचार किया था। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 2006 में दिए गए फैसले पर भी विचार किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अजीज बाशा केस के फैसले को आधार मानकर 1981 में संसद द्वारा पारित एएमयू (संशोधन) अधिनियम को अवैध घोषित कर दिया था और उसे अल्पसंख्यक संस्थान मानने से इंकार कर दिया था। इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। अब इस केस में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने बहुमत से अपना फैसला सुनाया है।

इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि अदालत का यह फैसला अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित अन्य संस्थानों के लिए भी एक उदाहरण साबित होगा। इंटर-फेथ हार्मनी फाउंडेशन के अध्यक्ष ख्वाजा इफ्तिखार अहमद ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। वरिष्ठ पत्रकार शाहिद सिद्दीकी ने इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इससे अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण होगा। उन्होंने कहा कि 1967 में अजीज बाशा केस का फैसला आने के बाद यह विश्वविद्यालय सांप्रदायिक तत्वों के निशाने पर था। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा है कि अभी यह फैसला अधूरा है। उन्होंने कहा कि मैंने राज्यसभा में इस संबंध में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है। इस बिल में मैंने उल्लेख किया है कि मुसलमानों ने 30 लाख रुपये जमा करके इस विश्वविद्यालय को स्थापित किया था, इसलिए यह एक अल्पसंख्यक संस्थान है।

पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता मीम अफजल ने अदालत के इस फैसले को सांप्रदायिक पार्टियों और सरकारों के मुंह पर जोरदार तमाचा बताया है। मुस्लिम चिंतक प्रो. अख्तरुल वासे ने कहा है कि अदालत का यह फैसला अधूरा है। बेहतर होता कि वर्तमान संविधान पीठ इस मुद्दे को अभी ही सुलझा देती। एएमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष जेड.के. फैजान ने अदालत के इस फैसले को सेक्युलरिज्म, लोकतंत्र और भारतीय संविधान की जीत बताया है। अदालत के इस फैसले के बाद एएमयू में जश्न मनाया गया और मिठाईयां बांटी गईं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इससे अल्पसंख्यकों में पृथकतावाद की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा।

रोजनामा सहारा (9 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अदालत के इस फैसले पर राजनीतिक गलियारों में अलग-अलग स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। विपक्षी दलों ने इस फैसले को मुसलमानों की बहुत बड़ी सफलता करार दिया है और कहा है कि इससे अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण होगा। दूसरी ओर, भाजपा ने इस फैसले की आलोचना की है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि अल्पसंख्यक संस्थानों को विशेष दर्जा देना राष्ट्रीय हित के खिलाफ है। इससे देश में विभाजन की नई रेखा का निर्माण हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर अल्पसंख्यक संस्थान सरकार से अनुदान लेने की आशा करते हैं तो उन्हें अपने संस्थानों में संविधान में दिए गए आरक्षण को भी लागू करना

होगा। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का प्रभाव देशभर के अल्पसंख्यक संस्थानों पर पड़ेगा और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए एक नया कानूनी रास्ता खुल जाएगा। केंद्र सरकार ने इस फैसले पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि देश में शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता से संबंधित कोई भी निर्णय देश के व्यापक हित में होना चाहिए। सरकार ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढांचे में संशोधन का भी संकेत दिया है ताकि यह संस्थान सेक्युलर रह सके।

इंकलाब (10 नवंबर) ने अपने संपादक वदूद साजिद का एक विशेष संपादकीय प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि सेवानिवृत्ति से दो दिन पहले मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एएमयू के अल्पसंख्यक स्वरूप के बारे में फैसला देकर देश के इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया है। दूसरी ओर, उन्होंने इस देश के करोड़ों मुसलमानों और उनके हजारों संस्थानों के संरक्षण के लिए पुख्ता नींव प्रदान की है। उनके इस फैसले से देश के उन सांप्रदायिक तत्वों को मुंह की खानी पड़ी है, जिन्हें रह रहकर भारतीय मुसलमानों और उनके संस्थानों के वजूद से तकलीफ होती रहती है। हालांकि, अदालत के इस फैसले ने कुछ लोगों में भय और भ्रम भी पैदा कर दिया है। सवाल यह किया जा रहा है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने उस आधार को ही खत्म कर दिया है, जिस पर एएमयू के अल्पसंख्यक स्वरूप को खत्म किया गया था तो फिर विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को तय करने का फैसला तीन न्यायाधीशों पर क्यों छोड़ दिया गया है? अदालत को एक और वाक्य लिखकर इस विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए था।

एएमयू की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए वदूद साजिद ने कहा है कि सर सैयद अहमद ने यह महसूस किया था कि 1857 के विद्रोह के बाद मुसलमानों में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत की जो भावना पैदा हुई है उसके कारण देश के मुसलमान आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने में कहीं पीछे न रह जाएं, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के सहयोग से 1875 में मोहम्मडन-एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। यहां पर इस बहस को छेड़ने का कोई फायदा नहीं है कि उस समय के मुस्लिम विद्वानों ने सर सैयद के इन प्रयासों के खिलाफ फतवे जारी किए थे और उन्हें काफिर घोषित कर दिया था। 1920 में ब्रिटिश सरकार ने एक कानून पारित करके इस कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया था और इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रखा गया था। अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है कि इस विश्वविद्यालय को मुसलमानों ने मुसलमानों के लिए स्थापित किया था। 1950 में भारतीय संसद ने एएमयू को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया था। 1951 में एएमयू अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे गैर-मुसलमानों को एएमयू कोर्ट का सदस्य बनने की अनुमति मिली। 1965 में एक बार फिर से एएमयू अधिनियम में संशोधन किया गया और एएमयू की कार्यकारी परिषद की शक्तियों का विस्तार किया गया। भारतीय संसद

द्वारा किए गए इन दो संशोधनों को अजीज बाशा ने 1967 में सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। तब सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने एएमयू के अल्पसंख्यक स्वरूप को स्वीकार करने से इंकार कर दिया था।

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ देश के मुसलमानों में बहुत रोष था। उन्हें संतुष्ट करने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने 1981 में एएमयू अधिनियम, 1920 में संशोधन करके उसके अल्पसंख्यक स्वरूप को बहाल कर दिया। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना मुसलमानों के शैक्षिक और सांस्कृतिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। 2005 में एएमयू ने स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में मुसलमानों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की। विश्वविद्यालय प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। 2006 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने न सिर्फ इस आरक्षण को रद्द कर दिया, बल्कि अदालत ने अजीज बाशा केस का हवाला देते हुए एएमयू के अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे को भी अवैध घोषित कर दिया। इसके बाद कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन 10 वर्षों तक यह मामला खटाई में पड़ा रहा। 2016 में भाजपा की मोदी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा दायर याचिका को यह कहकर वापस ले लिया कि यूपीए सरकार का यह फैसला उस निर्णय के खिलाफ था, जिसके तहत केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दलित, आदिवासी और ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 2019 में सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले को सात सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपने की सिफारिश कर दी।

एतेमाद (9 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अदालत के इस फैसले से उन वर्गों को भारी झटका लगा है, जो मुसलमानों और इस्लाम को मिटाने की साजिश कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने मुसलमानों को न्याय दिया है और यह तय कर दिया है कि सर सैयद अहमद की इस विरासत पर सिर्फ मुसलमानों का ही अधिकार है।

मुंसिफ (9 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अदालत के इस फैसले से शासक वर्ग के उस एजेंडे को गहरा झटका लगा है, जिसके तहत अल्पसंख्यकों की अलग पहचान और उनके मजहब को मिटाने का अभियान चलाया जा रहा था। पिछले कुछ सालों से सत्तारूढ़ पार्टी और उससे संबंधित संगठन इस्लामिक मदरसों और ईसाई स्कूलों के खिलाफ जो जहरीला अभियान चला रहे हैं वह निंदनीय हैं।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (9 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि मुसलमानों को जश्न मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक एएमयू के अल्पसंख्यक

स्वरूप के बारे में अंतिम निर्णय नहीं दिया है। अदालत ने इस मामले को एक अन्य पीठ को सौंप दिया है, इसलिए मुसलमानों को सतर्क रहना चाहिए।

हिंदुस्तान (9 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर से एएमयू के अल्पसंख्यक स्वरूप पर तलवार लटका दी है। मतलब साफ है कि देश के मुसलमानों को एक और कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। अगर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली संविधान पीठ चाहती तो इस मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। अब मुसलमानों के नेतृत्व की यह जिम्मेवारी है कि वह पूरी तैयारी और योजना के साथ इस युद्ध के दूसरे चरण को लड़ने की तैयारी करे। एएमयू मिल्लत-ए-इस्लामिया की विरासत है और हम इसमें किसी भी तरह के सरकारी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे।

उर्दू टाइम्स (9 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि देश की सत्तारूढ़ पार्टी मुसलमानों के रास्ते में हर तरह की परेशानियां खड़ी कर रही है। हर कोई गला फाड़कर यह कहता है कि मुसलमान शिक्षा प्राप्त नहीं करता। हालांकि, सच्चाई यह है कि जब मुसलमान शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो उनके रास्ते में तरह-तरह के कांटे बिछा दिए जाते हैं। विरोधियों की यह आपत्ति थी कि इस संस्थान को कानून द्वारा बनाया गया है, इसलिए यह मुसलमानों की मिल्कियत नहीं है। जबकि इससे पहले सत्तारूढ़ गिरोह ने आजम खान के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को गैर-कानूनी करार दे दिया था। इसका गठन उत्तर प्रदेश विधानसभा में पारित एक प्रस्ताव के आधार पर किया गया था। दूसरी ओर, एएमयू पर यह कहकर आपत्ति की जा रही है कि यह संस्थान कानून द्वारा बनाया गया है, इसलिए यह मुस्लिम संस्थान नहीं है। अर्थात् मुसलमान कानूनी विश्वविद्यालय बनाए तो भी गैर-कानूनी है। दरअसल, जिस विश्वविद्यालय के नाम में मुस्लिम शब्द है उससे सत्तारूढ़ टोले को चिढ़ है। हालांकि, जिस विश्वविद्यालय के नाम में मुस्लिम शब्द है उसके बारे में मुसलमानों को यह साबित करना पड़ रहा है कि यह मुसलमानों की है।

मुंबई उर्दू न्यूज (12 नवंबर) का कहना है कि एएमयू के अल्पसंख्यक संस्थान होने के सवाल पर फिलहाल मुख्य न्यायाधीश ने रोक लगा दी है, लेकिन इसके अल्पसंख्यक स्वरूप को खत्म करने की इच्छा रखने वाले लोग कितने दिन तक चुप रहेंगे इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली सात सदस्यीय संविधान पीठ ने इस पर अंतिम फैसला देने के बजाय इसे एक तीन सदस्यीय पीठ के हवाले कर दिया है। जब तक इस नई पीठ का फैसला नहीं आ जाता तब तक इस मामले पर मुसलमानों को भय के वातावरण में जीना पड़ेगा। सभी को पता है कि आजकल न्यायपालिका पर कई तरह के दबाव हैं। इस दबाव के कारण न्यायपालिका कोई भी नकारात्मक फैसला ले सकती है, जैसा कि बाबरी मस्जिद के मामले में हुआ है। ऐसे में मुसलमानों को सतर्क रहने की जरूरत है।

अवधनामा (10 नवंबर) ने अपने संपादकीय में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि खतरा अभी टला नहीं है। सत्तारूढ़ दल इस्लामी मदरसों और मुस्लिम विश्वविद्यालयों को हर हाल में खत्म करना चाहता है। इसे देखते हुए मुसलमानों को एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस लेनी चाहिए और इस्लाम व दीन की रक्षा के लिए एकजुट हो जाना चाहिए।

बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की तरह देश में कई मुस्लिम विश्वविद्यालय हैं। इनमें जामिया मिलिया इस्लामिया (नई दिल्ली), मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी (हैदराबाद), आलिया विश्वविद्यालय (कोलकाता),

बीएस अब्दुर रहमान क्रिसेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (तमिलनाडु), जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय (नई दिल्ली), ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय (लखनऊ), मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय (रामपुर), मौलाना मजहरुल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय (पटना), उस्मानिया विश्वविद्यालय (हैदराबाद), इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (जम्मू-कश्मीर), खाजा बंदा नवाज विश्वविद्यालय (कनार्टक) और मौलाना आजाद विश्वविद्यालय (जोधपुर) प्रमुख हैं।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग के अनुसार अल्पसंख्यक संस्थान का मतलब यह है कि ऐसा संस्थान जिसे किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित किया गया हो और जिसके प्रशासन का जिम्मा अल्पसंख्यकों के हाथ में हो। संविधान की धारा 30(1) सभी भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने और खोलने का अधिकार देता है। 1970 में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के एक ईसाई संस्थान की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि अगर अल्पसंख्यक समुदाय का कोई भी व्यक्ति अल्पसंख्यकों के हित में शैक्षणिक संस्थान शुरू करता है तो उसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिलेगा। इस दर्जे को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग से प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग ने 2021 तक देशभर में 13,602 शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थान का प्रमाणपत्र दिया है। इनमें सबसे ज्यादा 7550 ईसाई संस्थान हैं। जबकि मुसलमानों के 5153 संस्थान हैं। 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार देशभर में 50,536 अल्पसंख्यक स्कूल हैं। इनमें से 27,259 स्कूल मुस्लिम समुदाय द्वारा चलाए जा रहे हैं। जबकि 15,808 स्कूल ईसाई समुदाय द्वारा चलाए जा रहे हैं।

बता दें कि केंद्रीय संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 2019-23 के दौरान एएमयू को 5467 करोड़ का अनुदान दिया था। एएमयू के उपकुलपति का कहना है कि विश्वविद्यालय के सभी विभागों में औसतन 15 प्रतिशत गैर-मुस्लिम अध्यापक हैं।

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम बरकरार

रोजनामा सहारा (6 नवंबर) के अनुसार सर्वोच्च न्यायाल ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को संवैधानिक रूप से जायज करार देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस कानून को असंवैधानिक बताया था। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के 16 हजार मान्यता प्राप्त मदरसों में

पढ़ने वाले 17 लाख छात्र-छात्राओं को राहत मिली है और 42 हजार अध्यापकों की नौकरी पर लटक रही तलवार भी हट गई है। इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को असंवैधानिक करार देते हुए कहा था कि यह कानून सेक्युलरिज्म के सिद्धांतों के खिलाफ है। उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि इन मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों-छात्राओं को मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाने की व्यवस्था की जाए ताकि उनकी पढ़ाई में कोई बाधा न आए।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश ठीक नहीं था। हालाकि, उत्तर प्रदेश सरकार को मदरसों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कदम उठाने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को वैध करार दिया है, लेकिन उसने मदरसों द्वारा जारी कामिल और फाजिल की डिग्रियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के खिलाफ करार दिया है। गौरतलब है कि मदरसों में कामिल की डिग्री को स्नातक और फाजिल की डिग्री को स्नातकोत्तर की डिग्री के बराबर मान्यता दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय में यह याचिका मैनेजर्स एसोसिएशन मदारिस-ए-अरबिया के अध्यक्ष अंजुम कादरी ने दायर की थी।

इंकलाब (6 नवंबर) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला ऐतिहासिक है। इससे इस्लामिक मदरसों के खिलाफ की जा रही साजिशों और उन्हें बंद करवाने के प्रयासों पर रोक लगेगी। ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस-ए-अरबिया के महासचिव वहीदुल्ला खान सईदी ने कहा कि अदालत के इस फैसले से मदरसों के खिलाफ सांप्रदायिक संगठनों का अभियान कमजोर पड़ जाएगा और उनका मुंह बंद हो जाएगा। लंबे समय से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा मदरसों को बंद करने की जो योजना बनाई जा रही थी वह भी विफल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले से यह साबित कर दिया है कि मदरसे मुसलमानों द्वारा स्थापित किए गए हैं और इनका अल्पसंख्यक स्वरूप बरकरार रहेगा। मदरसों को दिए जा रहे सरकारी अनुदान धार्मिक शिक्षा देने में रूकावट नहीं बन सकते और इन मदरसों में दी जा रही शिक्षा सेक्युलरिज्म के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है।

औरंगाबाद टाइम्स (6 नवंबर) के अनुसार मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि किसी भी कानून को इस आधार पर खारिज नहीं किया

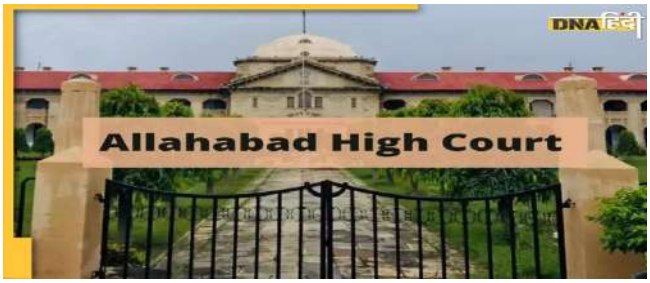

जा सकता कि वह संविधान के बुनियादी ढांचे और सेक्युलरिज्म के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। यह उच्च न्यायालय की गलती है। उच्च न्यायालय को यह बताना चाहिए था कि संविधान के किन-किन धाराओं का उल्लंघन किया गया है, जिनके कारण अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है। समाचारपत्र ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 23500 मदरसे हैं, जिनमें से 16513 मदरसों को सरकारी तौर पर मान्यता दी गई है। सरकार शेष सभी मदरसों को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। इनमें दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम नदवतुल उलमा और मदरसा मजाहिर उलूम जैसे विश्वविख्यात मदरसे शामिल हैं। हालांकि, वे गरीब वर्ग में सदियों से शिक्षा का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं।

जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी, जमात-ए-इस्लामी के सचिव सैयद तनवीर अहमद, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यह आरोप लगाया है कि योगी सरकार मदरसों को बदनाम करने का अभियान चला रही है और मदरसों को आतंकवाद का अड्डा करार दिया गया है। सरकार का यह प्रयास है कि इन मदरसों को किसी न किसी बहाने से बंद कर दिया जाए। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इन मदरसों में काम करने वाले 21 हजार अध्यापकों को कई वर्षों से वेतन नहीं दिया है। 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार इन अध्यापकों के बकाया वेतन की धनराशि 1628 करोड़ रुपये थी। समाचारपत्र ने कहा है कि ये मदरसे दीन व इस्लाम के किले हैं और इनकी रक्षा के लिए हर मुसलमान को कमर कस लेनी चाहिए।

उर्दू टाइम्स (7 नवंबर) ने अपने संपादकीय में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि सरकार की निगाहें सिर्फ मदरसों पर ही क्यों है? अन्य धर्मों के धार्मिक शिक्षण संस्थान भी सरकार से अनुदान ले रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। खुशी की बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पारदर्शिता और निष्पक्षता दिखाते हुए अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से मुसलमानों का विश्वास जीतने में कामयाबी हासिल की है। दीनी मदरसे हमारी कौम की अमूल्य विरासत हैं, जिन्हें नुकसान पहुंचाकर सरकार हमारी कौम के भविष्य को अंधकारमय बनाने का प्रयास कर रही है। हकीकत यह है कि शुरू से ही संघ परिवार और भाजपा मुसलमानों की अलग पहचान को मिटाने के लिए प्रयत्नशील हैं। उन्हें यह मालूम नहीं है कि इन्हीं मदरसों में राजा राममोहन राय और डॉ. राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों ने भी शिक्षा प्राप्त की थी। यही वे मदरसे हैं, जिनका देश के स्वतंत्रता संग्राम में उल्लेखनीय योगदान रहा है। सवाल यह है कि क्या असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा अदालत के इस फैसले को मानेंगे और मदरसों के खिलाफ जहर उगलना बंद कर देंगे?

सियासत (6 नवंबर) ने अपने संपादकीय में अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि जब से केंद्र और विभिन्न राज्यों में भाजपा की सरकार आई है तब से वह इस्लाम और मुसलमानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। दीनी मदरसों पर बुरी निगाह रखी जा रही है और उन्हें बदनाम करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी

गई है। यह सब मुस्लिम दुश्मनी में किया जा रहा है।

औरंगाबाद टाइम्स (7 नवंबर) ने अपने संपादकीय में यह आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश सरकार मुस्लिम दुश्मनी में अंधी हो गई है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को उत्तर प्रदेश सरकार ने ही लागू किया था और अब राज्य सरकार उसे गैर-कानूनी करार देने पर तुली हुई है। आशा है कि अब संघ परिवार इन मदरसों के महत्व को मान्यता देगा। ■

महाराष्ट्र के मुसलमानों से भाजपा के खिलाफ वोट देने की अपील

विभिन्न मुस्लिम संगठनों और उर्दू अखबारों ने महाराष्ट्र के मुसलमानों से अपील की है कि वे विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर भाजपा और उसके सहयोगी दलों के खिलाफ मतदान करें।

हिंदुस्तान (14 नवंबर) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना खलील-उर-रहमान सज्जाद नोमानी ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा है कि हमारी पूरी टीम ने महाराष्ट्र के नेताओं, चिंतकों और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से मुलाकात करके विधानसभा चुनाव पर विचार विमर्श किया है। हर सीट का गहराई से अध्ययन करने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी का समर्थन किया जाए। उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं से अपील की कि वे एकजुट होकर गैर-भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करें।

सियासत (15 नवंबर) के अनुसार इस बार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 4136 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 420 मुसलमान हैं। भाजपा को छोड़कर सभी दलों ने मुसलमानों को टिकट दिया है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी मुसलमानों पर दांव लगाया है। जबकि कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी ने भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं। वहीं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और समाजवादी

पार्टी ने भी मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। महाराष्ट्र में 12 प्रतिशत मुस्लिम मतदाता हैं। विधानसभा की 60 सीटों पर जीत की कुंजी मुसलमानों के हाथ में है। मालेगांव विधानसभा क्षेत्र में 60 प्रतिशत मुस्लिम मतदाता हैं। जबकि राज्य की नौ सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 42 प्रतिशत है। 15 सीटों पर 30 प्रतिशत और 38 सीटों पर 25 प्रतिशत मुस्लिम मतदाता हैं।

हैरानी की बात है कि इसके बावजूद महाराष्ट्र के इतिहास में आज तक 13 से अधिक मुस्लिम विधायक नहीं जीत पाए हैं। जबकि जनसंख्या के अनुपात से 30-35 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को जीतना चाहिए। इस बार 218 मुस्लिम उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। जबकि 202 मुस्लिम उम्मीदवारों को विभिन्न राजनीतिक दलों ने मैदान में उतारा है। कांग्रेस की नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी ने 14 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। जबकि भाजपा की नेतृत्व वाली महायुति ने सात मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने नौ मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं। जबकि शिवसेना (यूबीटी) ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। पार्टी ने हारून खान को मुंबई की वर्सोवा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। शरद पवार की एनसीपी ने चार मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। जबकि अजित पवार ने पांच मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। वहीं, एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने भी दो मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है।

इंकलाब (17 नवंबर) के अनुसार भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक पत्रकार सम्मेलन में यह आरोप लगाया है कि मुस्लिम संगठनों ने मुसलमानों से महाराष्ट्र और झारखंड में विपक्ष को वोट देने की अपील करके 'वोट जिहाद' छेड़ दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना सज्जाद नोमानी ने महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने की घोषणा की है। उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वे विधानसभा की 288 सीटों में से 269 पर महाविकास अघाड़ी को वोट दें। जबकि शेष सीटों पर उन पार्टियों को वोट दें, जो भाजपा विरोधी हैं।

उर्दू टाइम्स (15 नवंबर) ने अपने संपादकीय में हैरानी प्रकट की है कि मौलाना सज्जाद नोमानी ने ऐसे मुस्लिम उम्मीदवारों को भी नजरअंदाज कर दिया है, जो जीतने की स्थिति में है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि समर्थन की घोषणा करते ही नोमानी ने अपनी प्रेस कांफ्रेंस खत्म कर दी और मीडिया के सवालों का जवाब दिए बिना वे प्रेस कांफ्रेंस से उठकर चले गए। मुस्लिम क्षेत्रों में यह आरोप लगाया जा रहा है कि सज्जाद नोमानी ने समर्थन करने में न्याय नहीं किया। उन्होंने किस आधार पर विभिन्न उम्मीदवारों का समर्थन किया है यह भी स्पष्ट नहीं है। उदाहरण के तौर पर औरंगाबाद में एआईएमआईएम के उम्मीदवार का समर्थन न करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन कर दिया। इसके अतिरिक्त औरंगाबाद सेंट्रल क्षेत्र से

खड़े मुस्लिम उम्मीदवार का समर्थन करने के बजाय उन्होंने महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार बालासाहेब थोराट का समर्थन किया है। इसी तरह से वंचित बहुजन आघाडी की ओर से मुंबई की कलिना सीट से मौलाना लुकमान नदवी को खड़ा किया गया है, लेकिन नोमानी ने उन्हें नजरअंदाज करके महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार का समर्थन कर दिया है। कुछ लोगों का आरोप है कि नोमानी ने मुसलमानों से धर्म के नाम पर वोट देने की अपील करके हिंदू संगठनों को भी मुसलमानों के खिलाफ एकजुट कर दिया है। सवाल यह उठता है कि क्या उन्होंने यह सब किसी पार्टी के इशारे पर किया है?

उर्दू टाइम्स (15 नवंबर) के अनुसार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा ने महाविकास अघाड़ी पर 'वोट जिहाद' करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा है कि इस जिहाद के लिए करोड़ों रुपये की फंडिंग की गई है। इस संदर्भ में 13 नवंबर को मालेगांव पुलिस ने 'वोट जिहाद' के मास्टरमाइंड सिराज मोहम्मद और नासिक मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक के शाखा प्रबंधक दीपक निकम को गिरफ्तार किया है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने दावा किया है कि मालेगांव के बैंक में बेनामी हवाला के जरिए 125 करोड़ रुपये अलग-अलग बैंक खातों में आए हैं, जिनका इस्तेमाल 'वोट जिहाद' के लिए किया जा रहा है। उन्होंने इस संदर्भ में पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई है।

अवधनामा (13 नवंबर) ने कहा है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों की जनसंख्या 12.9 प्रतिशत है। जबकि सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व सिर्फ तीन प्रतिशत है। 2014 में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मुसलमानों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की थी, लेकिन जब भाजपा सत्ता में आई तो उसने इसे रद्द कर दिया। महाराष्ट्र में आजादी के बाद से सिर्फ एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना है। अब्दुल रहमान अंतुले जून 1980-जनवरी 1982 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। महाराष्ट्र विधानसभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व लगातार गिर रहा है। महाराष्ट्र में 1980 में सबसे ज्यादा 13 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। 2014 में इनकी संख्या नौ रह गई। जबकि 2019 में सिर्फ 10 मुस्लिम उम्मीदवार ही विधानसभा में पहुंच पाए।

उर्दू टाइम्स (12 नवंबर) ने महाराष्ट्र के मुसलमानों से अपील की है कि वे उन मुस्लिम उम्मीदवारों को अपना वोट न दें, जिन्हें सांप्रदायिक ताकतों ने मुस्लिम वोटों को विभाजित करने के लिए खड़ा किया है। हमारा लक्ष्य हर कीमत पर इस्लाम और मुस्लिम दुश्मन ताकतों को हराना है।

हिंदुस्तान (9 नवंबर) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी अभियान में सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बनाया जा रहा है। भाजपा के चेहरे से अब 'सबका साथ, सबका विकास' का नकाब उतर गया है। पार्टी ने हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काकर चुनाव जीतने की नई रणनीति बना ली है। भाजपा का नेतृत्व 'वोट जिहाद' के

बहाने हिंदुओं को भयभीत करके उनके वोट बटोरने की कोशिश कर रहा है।

उर्दू टाइम्स (9 नवंबर) ने अपने संपादकीय में मुसलमानों को मशवरा दिया है कि वे किसी भी पार्टी के प्रचार के लिए मस्जिदों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ एकजुट होने का मौका मिल जाएगा।

श्रीरंगपट्टनम की जामा मस्जिद में मदरसा चलाने पर आपत्ति

उर्दू टाइम्स (15 नवंबर) के अनुसार कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम की जामा मस्जिद में चल रहे मदरसे को लेकर एक नया विवाद पैदा हो गया है। इस विवाद की शुरुआत अभिषेक गौड़ा नामक एक व्यक्ति ने की थी। गौड़ा ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करके जामा मस्जिद में अवैध रूप से मदरसा संचालित होने का आरोप लगाया और अदालत से इसे बंद कराने की मांग की। यह याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजारिया के नेतृत्व वाली खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. अरविंद कामथ अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत में तर्क दिया कि केंद्र सरकार 1951 में जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित कर चुकी है। ऐसे में वहां पर मदरसा चलाना गैर-कानूनी है। कामथ ने अदालत से यह अनुरोध किया कि वह कर्नाटक सरकार और मांड्या जिला प्रशासन को मदरसा खाली कराने का निर्देश दे। जबकि वक्फ बोर्ड के वकीलों ने मदरसे को हटाने पर आपत्ति की। उन्होंने कहा कि यह मस्जिद वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है। इस मस्जिद में मदरसा चलाया जाए या नहीं इस पर निर्णय करने का अधिकार वक्फ बोर्ड को है। वक्फ बोर्ड के वकीलों का कहना है कि 1963 से यह मस्जिद वक्फ बोर्ड के नियंत्रण में है, इसलिए वक्फ बोर्ड इसका मालिक है। अगर वह वहां पर मदरसा चलाने की अनुमति देता है तो इसमें किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

कौमी तंजीम (15 नवंबर) के अनुसार सरकार ने यह दलील दी है कि श्रीरंगपट्टनम की जामा मस्जिद एक संरक्षित स्मारक है। वहां पर मदरसा चलाना इस स्थान की सुरक्षा के लिए

खतरा है, इसलिए अदालत प्रशासन को वहां से मदरसा हटाने का निर्देश दे ताकि इस ऐतिहासिक स्मारक की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। गौरतलब है कि श्रीरंगपट्टनम कभी टीपू सुल्तान की राजधानी हुआ करती थी। टीपू सुल्तान ने 1784 में वहां पर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। इस स्मारक का ऐतिहासिक महत्व है। यह पर्यटकों, इतिहासकारों और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। कामथ ने अदालत में यह भी तर्क दिया था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के नियमों के अनुसार संरक्षित स्मारकों में पूजा-पाठ या कोई अन्य धार्मिक गतिविधि नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि अगर इस मस्जिद में चल रहे मदरसे को नजरअंदाज कर दिया गया तो इसका प्रभाव देशभर के अन्य संरक्षित स्मारकों पर भी पड़ेगा।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (16 नवंबर) ने कहा है कि केंद्र सरकार को श्रीरंगपट्टनम की मस्जिद में मदरसा चलाए जाने से परेशानी हो रही है। हालांकि, वक्फ बोर्ड इस मदरसे को जारी रखने हेतु कटिबद्ध है। गौरतलब है कि दिल्ली की संरक्षित मस्जिदों में नमाज पढ़ने की अनुमति देने का विवाद दशकों से चला आ रहा है। इस विवाद की शुरुआत 1989 में प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के शासनकाल के दौरान हुई थी। तब संरक्षित मस्जिदों में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी गई थी। इसका विरोध एएसआई ने किया था। एएसआई का तर्क था कि मदरसों में नमाजियों के आने जाने से इन प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों को क्षति पहुंचती है, इसलिए इनमें नमाज की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके बावजूद मुस्लिम नेताओं के उकसाने पर भारी संख्या में नमाजी सफदरजंग मकबरा परिसर में स्थित मस्जिद के दरवाजे को तोड़कर उसमें दाखिल हो गए थे। यही सिलसिला दिल्ली की अनेक मस्जिदों में भी दोहराया गया था।

हालांकि, एएसआई ने इस अतिक्रमण के खिलाफ दिल्ली के विभिन्न पुलिस थानों में मुकदमे दर्ज करवाए थे, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तब भारतीय संसद में भी इस संदर्भ में काफी गरमा-गरम बहस हुई थी। संसद में सरकार ने 256 संरक्षित स्मारकों की सूची पेश की थी, जिनमें अवैध रूप से धार्मिक गतिविधियां की जा रही थीं। इस सूची में अनेक मस्जिदें, दरगाहें, गिरजाघर और मंदिर शामिल थे। संसद में हुई बहस में सरकार ने यह तर्क दिया था कि सिर्फ उन्हीं संरक्षित स्मारकों में धार्मिक गतिविधियां करने की अनुमति दी जा सकती है, जिनमें संरक्षित स्मारक घोषित होने के पहले से ही ये गतिविधियां चल रही हों। हाल ही में केंद्र सरकार ने कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद में भी नमाज अदा करने पर रोक लगा दी थी।

कौमी तंजीम (5 नवंबर) के अनुसार दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने का मामला भी दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रहा है। अजीब बात यह है कि शहजहां द्वारा निर्मित इस मस्जिद की मरम्मत पर एएसआई करोड़ों रुपये खर्च कर रहा है। हालांकि, इस मस्जिद के प्रबंधन में उसका कोई हाथ नहीं है। इसका प्रबंधन वक्फ बोर्ड और शाही इमाम

द्वारा गठित प्रबंधक कमेटी द्वारा किया जाता है। अदालत में एएसआई ने यह दावा किया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने एएसआई को यह निर्देश दिया था कि इस मस्जिद की मरम्मत का सिलसिला पहले की तरह जारी रखा जाए। इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान एएसआई ने अदालत में यह स्वीकार किया कि इस मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित किए बिना उसने 2007 से 2021 तक इसकी मरम्मत पर 61 लाख रुपये खर्च किए हैं। इससे पहले वीपी सिंह के शासनकाल के दौरान एएसआई ने इस मस्जिद की मरम्मत पर एक करोड़ रुपए खर्च किए थे।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एएसआई से कहा है कि वह जामा मस्जिद का कोई खाका या विवरण अदालत में पेश करे और यह स्पष्टीकरण दे कि इस स्मारक से प्राप्त होने वाली आय का इस्तेमाल कौन और कैसे कर रहा है। इसके अतिरिक्त अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से यह भी पूछा है कि वह बताए कि इस मस्जिद की प्रबंध समिति का गठन कब किया गया था? उच्च न्यायालय ने एएसआई से यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि यह मस्जिद अभी तक उसके नियंत्रण में क्यों नहीं है? एएसआई ने अदालत में दायर शपथपत्र में कहा है कि अगर इस मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया तो इसके 200 मीटर की दूरी तक निर्माण कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना होगा और जो निर्माण किया गया है उन्हें ध्वस्त करना होगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।

सबसे रोचक बात यह है कि दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद दशकों से विवादों में रही है। इस मस्जिद से जो भी आय होती है वह शाही इमाम हड़प लेते हैं। मस्जिद के अगल-बगल प्रतिदिन पटरी बाजार लगता है। जामा मस्जिद के कर्मचारी इस बाजार के दुकानदारों से वसूली करते हैं। जबकि यह पूरा क्षेत्र दिल्ली नगर निगम के अधीन है। कुछ साल पहले जामा मस्जिद की बिजली काट दी गई थी, क्योंकि वक्फ बोर्ड या शाही इमाम ने लाखों रुपये के बिजली बिल का भुगतान नहीं किया था। इस पर जब काफी हंगामा मचा तो दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हस्तक्षेप करना पड़ा और इस मस्जिद की बिजली की सप्लाई बहाल की गई।

सबसे रोचक बात यह है कि इस्लाम के नियमों के अनुसार किसी भी मस्जिद के इमाम का पद वंशानुगत नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद इस मस्जिद का इमाम वंशानुगत आधार पर ही नियुक्त किया जाता है। जब मुगल बादशाह शाहजहां ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था तो उसने बुखारा से एक मुस्लिम विद्वान को दिल्ली बुलाया था, जिसका नाम सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी था। वर्तमान इमाम उसकी पीढ़ी का 13वां शाही इमाम है। कुछ वर्ष पहले वर्तमान इमाम अहमद बुखारी ने सभी इस्लामिक परंपराओं को ताक पर रखकर अपने बेटे शाबान बुखारी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। सबसे रोचक बात यह है कि उन्होंने अपने शिशु पोते को जामा मस्जिद के इमाम का वारिस घोषित करने के लिए एक विशेष समारोह का आयोजन किया था। इस समारोह में दिल्ली की सभी पार्टियों के नेता भी शामिल हुए थे। ■

'द सैटेनिक वर्सेज' के आयात पर से प्रतिबंध हटा

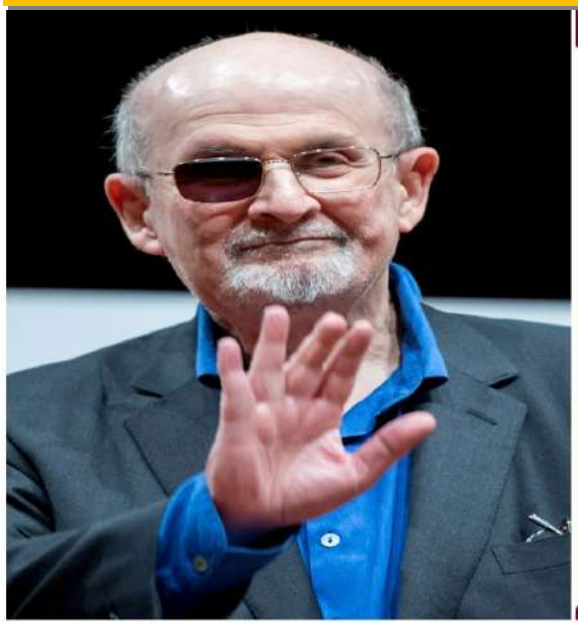

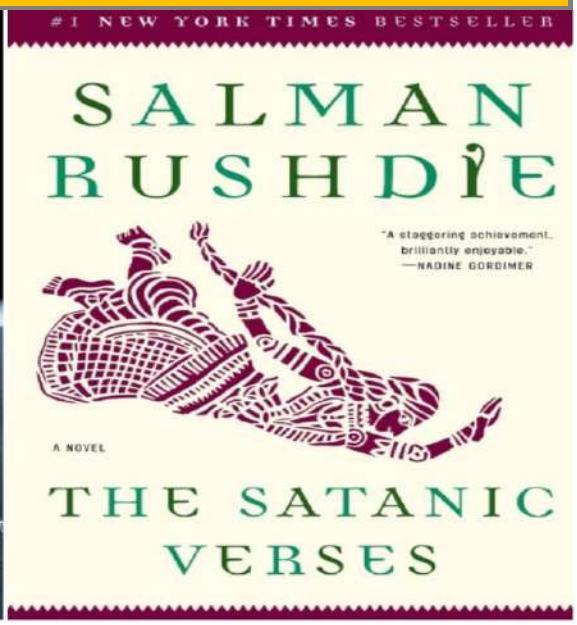

अखबार-ए-मशरिक (9 नवंबर) के अनुसार भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी की विवादित पुस्तक 'द सैटेनिक वर्सेज' के आयात पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक कानूनी त्रुटि के कारण हटा लिया है। गौरतलब है कि यह प्रतिबंध 1988 में राजीव गांधी की सरकार ने लगाया था। संदीपन खान नामक एक व्यक्ति ने 2019 में इस प्रतिबंध को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। अदालत ने अधिकारियों को इस प्रतिबंध से संबंधित अधिसूचना को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था, लेकिन अधिकारी ऐसा करने में विफल रहे। न्यायमूर्ति जस्टिस रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने कहा है कि यह याचिका 2019 से विचाराधीन थी। अदालत ने कहा कि हमने इस संबंध में तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की प्रतिलिपि को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था, लेकिन संबंधित अधिकारी इस अधिसूचना को अदालत में पेश नहीं कर सके। ऐसे में हम यह मान कर चलते हैं कि तत्कालीन केंद्र सरकार ने ऐसी कोई अधिसूचना जारी ही नहीं की थी और इस पुस्तक को देश या विदेश से मंगवाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

1988 में प्रकाशित इस उपन्यास में अच्छाई और बुराई के मुद्दे पर चर्चा की गई है। इस पुस्तक में हजरत मोहम्मद सहित अन्य धार्मिक हस्तियों का उल्लेख किया गया है। विश्वभर के मुसलमानों को यह आपत्ति रही है कि सलमान रुश्दी ने पश्चिमी देशों के पाठकों को आकर्षित करने के लिए अपनी इस पुस्तक में हजरत मोहम्मद सहित अन्य हस्तियों की जानबूझकर तौहीन की है। यह पुस्तक विदेश में प्रकाशित हुई थी। 1989 में ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह रुहोल्लाह खोमैनी ने एक विशेष फतवा जारी किया था। इस फतवे में कहा गया था कि जो भी व्यक्ति इस पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी का सिर काटकर लाएगा उसे उनके सिर के वजन के बराबर सोना ईनाम में दिया जाएगा। मुस्लिम नेताओं के दबाव पर सबसे पहले राजीव गांधी की सरकार ने इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया था। बाद में अनेक इस्लामिक देशों ने इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा

दिया था। मुंबई में इस पुस्तक के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए थे, जिसमें बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। उग्र भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी, जिसमें एक दर्जन से अधिक लोग मारे गए थे।

चट्टान (9 नवंबर) के अनुसार सितंबर 1988 में इस विवादित पुस्तक के कुछ अंश और रुश्दी का इंटरव्यू एक भारतीय पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद देश के अनेक हिस्सों में दंगे भड़क उठे थे। देश के कई मुस्लिम बुद्धिजीवी और नेता, जिनमें सैयद शहाबुद्दीन और खुर्शीद आलम खान प्रमुख थे, ने भारत सरकार से इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। मुस्लिम संगठनों और नेताओं के दबाव पर 5 अक्टूबर 1988 को तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने इस पुस्तक को देश में प्रकाशित करने या इसे विदेशों से मंगवाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद इस पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी पर कई बार घातक हमले हुए थे और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए विदेशों के अनेक नगरों में छिपना पड़ा था। अगस्त 2022 में ईरानी मूल के एक कट्टरपंथी मुसलमान हादी मतार ने सलमान रुश्दी पर अमेरिका में घातक हमला किया था। इस हमले में रुश्दी की एक आंख पूरी तरह से खराब हो गई और वे एक हाथ व एक पांव से विकलांग हो गए। पुलिस ने हमलावर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया था। बाद में एक अदालत ने हादी मतार को उम्रकैद की सजा दी थी।

जहां तक सलमान रुश्दी का संबंध है, उनके पूर्वज दिल्ली के रहने वाले थे। उनके पिता अनीस अहमद रुश्दी ब्रिटिश काल में न्यायाधीश हुआ करते थे। उनका पैतृक बंगला नई दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित अंडर हिल रोड़ पर है और यह अनीस विला के नाम से विख्यात है। 1970 में अनीस रुश्दी ने इस बंगले को कांग्रेसी नेता भीकू राम जैन को बेच दिया था। उनका एक बंगला हिमाचल प्रदेश के सोलन में भी है। सलमान रुश्दी ने एक इंटरव्यू में यह इच्छा प्रकट की थी कि वे जीवन में एक बार अपने पूर्वजों के भवनों को देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि उनका जीवन संकट में है, इसलिए उनकी यह इच्छा पूरी होनी मुश्किल है। सलमान रुश्दी का जन्म 1947 में मुंबई में हुआ था। अब तक वे 30 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं। ब्रिटिश सरकार ने 2007 में साहित्य जगत में योगदान के लिए रुश्दी को 'सर' की उपाधि प्रदान की थी। खास बात यह है कि एक कट्टरपंथी मुसलमान ने सैटेनिक वर्सेज का जापानी भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति की भी चाकू मारकर हत्या कर दी थी। अमेरिका सरकार ने सलमान रुश्दी को सुरक्षा प्रदान कर रखी है।

बलूचिस्तान में हुए आत्मघाती हमले में 30 लोगों की मौत

अखबार-ए-मशरिक (10 नवंबर) के अनुसार पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा के रेलवे स्टेशन पर हुए आत्मघाती हमले में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और 100 से अधिक घायल हुए हैं। मरने वालों में आत्मघाती हमलावर भी शामिल है। क्वेटा के पुलिस कप्तान के अनुसार कई घायलों की हालत नाजुक है, इसलिए मरने वालों की संख्या में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। इस आतंकी हमले के बाद पूरे पाकिस्तान में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और जनता से अपील की गई है कि वे क्वेटा बम विस्फोट में घायल हुए लोगों के लिए रक्तदान करें। ताजा समाचारों के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने देश के दक्षिण-पश्चिमी प्रांत से आने-जाने वाली सभी रेल सेवाओं को निलंबित कर दिया है।

बलूचिस्तान सरकार ने तीन दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुगती ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि हम आतंकवादियों का उन्मूलन करके ही दम लेंगे। समाचारों के अनुसार मरने वालों में पाकिस्तानी सेना के कई सुरक्षाकर्मी और अधिकारी भी शामिल हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के प्रवक्ता ने इस हमले की जिम्मेवारी लेते हुए कहा है कि यह पाकिस्तानी सेना द्वारा बलूचों के उत्पीड़न के खिलाफ एक जवाबी हमला है। समाचारपत्र के अनुसार यह बम धमाका तब हुआ जब पाकिस्तानी सैनिक एवं अन्य यात्री रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर गाड़ी का इंतजार कर रहे थे।

चट्टान (10 नवंबर) के अनुसार इस धमाके के बाद प्रतिबंधित संगठन बीएलए के प्रवक्ता जुनैद बलोच ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि उनके एक फिदायीन ने इस आत्मघाती हमले को अंजाम दिया है। इस हमले का लक्ष्य पाकिस्तानी सेना के एक दस्ते को निशाना बनाना था, जो क्वेटा स्थित पाकिस्तान इन्फैंट्री स्कूल से अपना कोर्स पूरा कर वापस पेशावर जाने वाला था।

पाकिस्तानी अखबार **जंग** (11 नवंबर) के अनुसार बीते दिनों कराची हवाई अड्डे पर चीनी नागरिकों पर हुए हमले के संबंध में पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने एक महिला सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने संवाददाताओं को बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों का संबंध बीएलए से है। इसका पता घटनास्थल पर मारे गए एक हमलावर के कटे हुए हाथ से लगा है। गुप्तचर एजेंसियों की जांच में यह खुलासा हुआ है कि इस हमले में इस्तेमाल किए गए वाहन को सितंबर 2024 में कराची के एक शोरूम से 71 लाख रुपये नकद में खरीदा गया था। नकवी ने कहा कि कुछ विदेशी ताकतें चीन और पाकिस्तान के बढ़ते हुए संबंधों से भयभीत हैं, इसलिए उनके इशारे पर इस तरह की आतंकवादी हरकतें की जा रही हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि शीघ्र ही इस घटना से संबंधित सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार सिंध के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर और पुलिस महानिरीक्षक गुलाम नबी मेमन ने एक प्रेस कांफ्रेंस में दावा किया कि कराची हवाई अड्डे पर आत्मघाती हमला करने वाले शाह फहद की पहचान उसके फिंगरप्रिंट के जरिए की गई है, क्योंकि विस्फोट के दौरान उसका चेहरा और उसके शरीर का ज्यादातर हिस्सा जल गया था। शाह फहद बलूचिस्तान के जिला नुश्की का रहने वाला था और वह बीएलए के मजीद ब्रिगेड में शामिल था। आतंकवाद निरोधक विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में यह दावा किया गया है कि चीनी नागरिकों पर हुए आत्मघाती हमले का मास्टरमाइंड जावेद उर्फ समीर और उसकी सहायक महिला गुल निसा को कराची से गिरफ्तार किया गया है। ये लोग एक अन्य धमाके के उद्देश्य से बलूचिस्तान से कराची आए थे।

मेमन ने बताया कि इस धमाके में बारूद से भरे हुए जिस वाहन का इस्तेमाल किया गया था उसे घटना से दो दिन पहले कराची लाया गया था। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति ने यह स्वीकार किया है कि 6 अक्टूबर को रात साढ़े नौ बजे उसके गिरोह का एक व्यक्ति कराची हवाई अड्डे में पैदल घुसा और उसने इन चीनी इंजीनियरों के हवाई अड्डे से बाहर निकलने की सूचना वाहन में बैठे आत्मघाती हमलावर को दी। इसके बाद हमलावर ने बारूद से भरे वाहन को चीनियों के वाहन से टकरा दिया। गृह मंत्री लंजर ने यह भी दावा किया कि बीएलए का कराची में यह चौथा बड़ा हमला था। इससे पहले वे कराची स्टॉक एक्सचेंज, चीनी वाणिज्य दूतावास और कराची विश्वविद्यालय को अपना निशाना बना चुके थे। उन्होंने कहा कि बीएलए पाकिस्तान दुश्मन देशों के इशारे पर पाकिस्तान में हिंसा फैला रहा है।

बता दें कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) एक विद्रोही संगठन है, जो पाकिस्तान

के बलूचिस्तान प्रांत में सक्रिय है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। यह प्रांत खनिज संसाधनों से समृद्ध है। वहां के लोगों की शिकायत है कि इन खनिज संसाधनों का इस्तेमाल बलूचिस्तान के निवासियों के विकास के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि पंजाबी और चीनी इन खनिज संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। इस संगठन की मांग है कि बलूचिस्तान को अलग राष्ट्र घोषित किया जाए ताकि स्थानीय लोग उसके संसाधनों का लाभ उठा सकें।

बीएलए का गठन 1970 के दशक में किया गया था। उस दौरान पाकिस्तानी सेना ने असंतुष्ट बलूचों के आक्रोश को कुचलने के लिए जबर्दस्त सैन्य अभियान चलाया था। इस सैन्य अभियान में हजारों बलूच मारे गए थे। इस सैन्य कार्रवाई का बदला लेने के लिए कई बलूच संगठनों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का रास्ता चुना। कहा जाता है कि बीएलए की स्थापना प्रमुख बलूच नेता मीर हबत खान मारी और उनके बेटे नवाब खैर बख्श मारी ने की थी। प्रमुख बलूच नेता बलाच मारी और ब्रह्मदाग बुगती भी बीएलए का नेतृत्व कर चुके हैं। इस संगठन का मुख्य विरोध चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) को लेकर है। इस परियोजना के तहत चीन ने ग्वादर बंदरगाह को विकसित किया है ताकि वह समुद्र और जमीन के रास्ते मध्य पूर्व से संपर्क स्थापित कर सके।

हिंदुस्तान (2 नंवबर) के अनुसार बलूचिस्तान के जिला मस्तुंग में हुए एक बम धमाके में पांच बच्चों सहित नौ लोग मारे गए और 29 लोग घायल हो गए। प्रांतीय सरकार के प्रवक्ता शाहिद रंद ने बताया कि आतंकवादियों ने यह हमला एक पुलिस वैन पर किया था। इस वैन के साथ स्कूली बच्चों की एक बस भी चल रही थी, इसलिए इस धमाके में पांच बच्चे, एक पुलिसकर्मी और तीन अन्य लोग मारे गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुगती ने इस हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस हमले के दोषियों की तलाश के लिए पूरे प्रांत में अभियान शुरू कर दिया गया है। आशा है कि पुलिस जल्द ही इस हमले के दोषियों को गिरफ्तार कर लेगी।

उर्दू टाइम्स (11 नवंबर) के अनुसार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्वेटा रेलवे स्टेशन पर हुए आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने इस संदर्भ में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को संवेदना संदेश भी भेजा है। पुतिन ने कहा है कि रूस आतंकवाद के उन्मूलन के लिए पाकिस्तान को हर संभव सहायता देगा। ■

शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का फैसला

उर्दू टाइम्स (11 नवंबर) के अनुसार बांग्लादेश सरकार के कानूनी मामलों के सलाहकार आसिफ नजरुल ने पत्रकारों को बताया कि सरकार ने यह फैसला किया है कि राजनीतिक विरोधियों की हत्या और उन्हें लापता करने के आरोप में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना व अन्य फरार आरोपियों के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया जाए। उन्होंने

कहा कि ये फासीवादी भगोड़े चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हों, उन्हें वापस लाया जाएगा और अदालत में जवाबदेह ठहराया जाएगा। इससे पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने यह घोषणा की थी कि उनकी सरकार भारत सरकार से यह अनुरोध करेगी कि वह शेख हसीना को बांग्लादेश सरकार के हवाले कर दे, लेकिन अब बांग्लादेश सरकार ने अपना फैसला बदल दिया है। गौरतलब है कि 2013 में बांग्लादेश और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि हुई थी। इस संधि के तहत आरोपियों को संबंधित सरकार के हवाले किया जाता है। इसके बावजूद बांग्लादेश सरकार ने इस संबंध में इंटरपोल की सहायता लेने का फैसला किया है।

इंकलाब (10 नवंबर) के अनुसार बांग्लादेश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के समर्थकों ने ढाका में जबर्दस्त प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि हजारों प्रदर्शनकारियों की हत्या के आरोप में शेख हसीना और उनके अन्य सहयोगियों के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाया जाए। इसके साथ ही इस रैली में यह भी मांग की गई कि बांग्लादेश में जल्द आम चुनाव करवाए जाएं, क्योंकि शेख हसीना ने जो चुनाव करवाए थे वे निष्पक्ष नहीं थे। उस चुनाव में धांधली करके अवामी लीग को जीत दिलाई गई थी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर सरकार उनकी इन मांगों को पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो वे पूरे देश में उग्र प्रदर्शन करेंगे और सरकार को इन मांगों को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर देंगे।

अवधनामा (5 नवंबर) के अनुसार बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने देश के संविधान का पुनरीक्षण और नए संविधान की संरचना के लिए अली रियाज के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया है। इस आयोग में वरिष्ठ वकील, कानून के प्रोफेसर, मानवाधिकार संगठनों के प्रतिनिधि और छात्र नेता शामिल हैं। संविधान सुधार आयोग के प्रमुख अली रियाज ने पत्रकारों को बताया कि वर्तमान संविधान में प्रधानमंत्री के पास अपार अधिकार हैं। हम अपने देश में तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि नया संविधान लोकतांत्रिक होगा। संविधान सुधार आयोग 31 दिसंबर तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा।

फिलिस्तीन समर्थकों पर डच पुलिस की कार्रवाई

इंकलाब (12 नवंबर) के अनुसार पिछले दिनों नीदरलैंड की राजधानी एम्सटर्डम में नीदरलैंड और इजरायल के बीच खेले गए फुटबॉल मैच के दौरान फिलिस्तीन समर्थकों ने इजरायलियों पर हमला कर दिया था। इस हमले के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इस हमले में पांच इजरायली घायल हो गए थे। फिलिस्तीन समर्थक रैली में भाग लेने वाले 50 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये प्रदर्शनकारी गाजा में इजरायल द्वारा छेड़े गए युद्ध

के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और अलग फिलिस्तीनी राष्ट्र की मांग का समर्थन कर रहे थे। प्रदर्शनकारी यह मांग कर रहे थे कि फुटबॉल मैच के दौरान इजरायलियों पर हमला करने के आरोप में जिन 50 फिलिस्तीन समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें फौरन रिहा किया जाए।

गौरतलब है कि डच सरकार और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले की निंदा की थी। इजरायल ने अपने नागरिकों को यह निर्देश दिया है कि वे विदेशों में आयोजित किसी भी समारोह में भाग न लें, क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है। नेतन्याहू के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि इजरायल सरकार को यह जानकारी मिली है कि फिलिस्तीन समर्थक विदेशों में इजरायली नागरिकों पर हमला करके उनकी हत्या कर सकते हैं। ये हमले नीदरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस और बेल्जियम आदि देशों में हो सकते हैं। ऐसे में इजरायली नागरिकों को सतर्क रहने की जरूरत है। एक अन्य समाचार के अनुसार फ्रांस ने अपने देश में फिलिस्तीनी झंडों पर प्रतिबंध लगा दिया है। फ्रांस सरकार के अनुसार यह प्रतिबंध अगले सप्ताह पेरिस में फ्रांस और इजरायल के बीच होने वाले मैच को ध्यान में रखकर लगाया गया है। फ्रांस की सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्टेडियम में सिर्फ फ्रांसीसी और इजरायली झंडे ही लगाए जा सकेंगे। पेरिस पुलिस के प्रमुख ने कहा है कि इजरायली नागरिकों एवं खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। इस संदर्भ में 14 हजार पुलिसकर्मियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है ताकि इजरायल विरोधी संगठन किसी तरह की अशांति न फैला सकें।

स्वीडन में कुरान जलाने के आरोपी को सजा

अवधनामा (7 नवंबर) के अनुसार स्वीडन की एक अदालत ने 2022 में देश में हुए मुस्लिम विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कुरान जलाने के आरोपी को चार महीने की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि इस्लाम विरोधी संगठन के कार्यकर्ता रासमस पालुदन ने इन प्रदर्शनों में मुसलमानों, अरबों और अफ्रीकियों के खिलाफ उत्तेजक भाषण दिए थे। इसके खिलाफ दुनियाभर में प्रदर्शन हुए थे। अदालत ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की आलोचना की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर इस्लाम और मुसलमानों की आलोचना उनके अतिवादी विचारों के कारण की

जा सकती है, लेकिन इसमें किसी भी धर्म का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। जबकि इन प्रदर्शनों में इस्लाम, कुरान और रसूल का अपमान किया गया था, जो स्वीडन की सामाजिक संरचना और नैतिकता के खिलाफ है।

गौरतलब है कि स्वीडन, नार्वे और डेनमार्क में धुर दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने यूरोप में मुस्लिम संप्रदाय की कट्टरपंथी गतिविधियों की आलोचना की थी और इस दौरान कई स्थानों पर कुरान को जलाया गया था। इसके बाद स्वीडन सरकार ने एक कानून पारित किया था। इस कानून में किसी भी धर्म के संस्थापक या धर्मग्रंथ का अपमान करने वालों के लिए सजा की व्यवस्था की गई थी। इससे पहले स्वीडन में उदारवादी सामजिक संरचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की नीति के कारण किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक नहीं थी। जिस धुर दक्षिणपंथी ईसाई रासमस पालुदन को कुरान जलाने के आरोप में सजा दी गई है वह स्वीडन और डेनमार्क दोनों देशों का नागरिक है। वह पेशे से वकील है।

बता दें कि कुरान जलाने की घटना के कारण स्वीडन और तुर्किये के संबंधों में कटुता आ गई थी और तुर्किये ने स्वीडन के साथ अपने राजनयिक संबंध समाप्त कर लिए थे। इससे पहले तुर्किये स्वीडन को नाटो की सदस्यता देने की राह में लगातार रोड़े अटका रहा था। बाद में अमेरिका के दबाव के कारण तुर्किये ने अपना वीटो वापस ले लिया था और स्वीडन को नाटो की सदस्यता दे दी गई थी।

जर्मनी और ईरान के संबंधों में तनाव

उर्दू टाइम्स (2 नवंबर) के अनुसार ईरान ने 28 अक्टूबर को 69 वर्षीय ईरानी मूल के जर्मन नागरिक जमशेद शर्महद को आतंकवाद के आरोप में तेहरान में फांसी दे दी थी। इस पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने विरोध प्रकट किया था। जर्मनी के राजदूत ने भी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से विरोध प्रकट किया था। जबकि ईरान सरकार ने कहा था कि किसी भी आतंकवादी को जर्मन नागरिक होने के कारण नहीं छोड़ा जा सकता। अब जर्मनी सरकार ने जर्मनी में स्थित तीनों ईरानी वाणिज्य दूतावासों को बंद करने का निर्देश दिया है। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने यह आदेश दिया है कि फ्रैंकफर्ट, हैम्बर्ग और म्यूनिख में स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावासों को फौरन बंद कर दिया जाए। समाचारपत्र के अनुसार ईरानी गुप्तचरों ने शर्महद को दुबई से अपहरण कर लिया था। इसके बाद उस पर मुकदमा चलाया गया। अमेरिका और जर्मनी के विरोध के बावजूद ईरान सरकार ने तेहरान की एक जेल में शर्महद को फांसी पर लटका दिया।

गौरतलब है कि जमशेद शर्महद ईरान में पैदा हुआ था, लेकिन उसने जर्मनी की नागरिकता ली थी और वह वहां पर लंबे समय तक रहा था। 2008 में उस पर ईरान की एक मस्जिद पर हमला करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। इस हमले में पांच महिलाएं और एक बच्चा समेत 14 लोग मारे गए थे और 200 से अधिक

नमाजी घायल हो गए थे। 2017 में ईरान ने यह आरोप लगाया था कि शर्महद ने ईरानी मिसाइलों के बारे में गोपनीय जानकारी साझा की है। बताया जाता है कि शर्महद अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहता था और पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। जमशेद शर्महद 2020 में दुबई से भारत की यात्रा पर निकला तो रास्ते में ही उसका अपहरण कर लिया गया। जर्मन सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात से यह अनुरोध किया था कि उसके नागरिक का पता लगाया जाए। इसके बाद शर्महद के मोबाइल लोकेशन से यह पता चला कि जब वह दुबई से भारत आने के लिए हवाई जहाज पर सवार होने जा रहा था तो रास्ते में ही कुछ अज्ञात लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद उसे जॉर्डन ले जाया गया।

बाद में ईरानी गुप्तचर विभाग ने यह घोषणा की कि एक विदेशी जासूस को गिरफ्तार किया गया है, जो ईरानी मिसाइल फैक्ट्रियों के बारे में गोपनीय सूचनाएं इकट्ठा कर रहा था और उन्हें एक देश के गुप्तचर संगठन को उपलब्ध करा रहा था। ईरानी गुप्तचर विभाग ने सरकारी टेलीविजन पर जमशेद शर्महद की तस्वीर भी प्रसारित की थी, जिसमें उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। 2023 में ईरानी टेलीविजन ने इस कथित जासूस के मुकदमे की सुनवाई का वीडियो भी वायरल किया था और यह घोषणा की थी कि अदालत ने इस विदेशी जासूस को मौत की सजा सुनाई है।

कुछ समय पहले जर्मन सरकार ने यह आरोप लगाया था कि ईरान अपने एजेंटों के जरिए जर्मनी में इस्लामिक आतंकवाद का प्रचार कर रहा है, जो जर्मनी की लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटकर देश में इस्लामी हुकूमत कायम करने की साजिश रच रहे हैं। जर्मनी सरकार ने इस संदर्भ में हैम्बर्ग में मुस्लिम संप्रदाय द्वारा एक प्रदर्शन का भी उल्लेख किया था। इस प्रदर्शन में यह मांग की गई थी कि जर्मनी में इस्लामिक खिलाफत की स्थापना की जाए। इस घटना पर जर्मनी की संसद में गरमा-गरम बहस भी हुई थी। विपक्षी दलों ने जर्मनी में इस्लामिक आतंकवाद की बढ़ती हुई घटनाओं पर चिंता प्रकट की थी और जर्मनी सरकार से इन इस्लामिक आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की थी। इसके बाद जर्मनी की सरकार ने देश में स्थित कुछ मस्जिदों और इस्लामिक केंद्रों को बंद कर दिया था। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने यह आरोप लगाया था कि ईरान सरकार जर्मनी में सक्रिय इस्लामिक आतंकवादियों को आर्थिक सहायता दे रही है।

हिंदुस्तान (12 नवंबर) के अनुसार पाकिस्तानी सीमा के समीप एक आतंकवादी हमले में पांच ईरानी सैनिक मारे गए। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी 'आईआरएनए' ने दावा किया कि मरने वाले पांचों लोग पासदारान-ए-इंकलाब (आईआरजीसी) के अधिकारी थे। ईरानी प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान के शहर सरावान में इन सैन्य अधिकारियों पर हमला किया गया। इससे पहले ईरानी सरकारी टेलीविजन ने यह दावा किया कि ईरानी सेना ने तीन आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है। जबकि नौ आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले महीने आतंकवादियों के एक हमले में सिस्तान और

बलूचिस्तान प्रांत के आईआरजीसी के प्रमुख सहित चार लोग मार गए थे। जानकार सूत्रों के अनुसार यह हमला एक इस्लामिक आतंकी संगठन जैश अल-अदल (न्याय की सेना) ने किया था। जैश अल-अदल एक सुन्नी आतंकी संगठन है। इसका गठन 2012 में किया गया था। इस इस्लामिक आतंकी संगठन का आरोप है कि ईरान सरकार अपने देश में सुन्नी अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न कर रही है। इस संगठन की यह मांग है कि ईरानी प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश घोषित किया जाए।

गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में ईरान ने पाकिस्तानी सीमा के अंदर स्थित जैश अल-अदल के कई ठिकानों पर बमबारी की थी। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरानी सीमा में स्थित कुछ गांवों पर हमला किया था। पाकिस्तान ने यह दावा किया था कि ईरान में स्थित इन अड्डों से आतंकवादी पाकिस्तान की सीमा में घुसकर हिंसक कार्रवाईयां करते हैं और पाकिस्तानी सेना को अपना निशाना बनाते हैं। इससे पहले जैश अल-अदल ने सिस्तान और बलूचिस्तान में एक पुलिस स्टेशन पर हमला करके 11 ईरानी सुरक्षाकर्मियों की हत्या कर दी थी।

ईरानी एजेंट पर ट्रम्प की हत्या की साजिश रचने का आरोप

रोजनामा सहारा (10 नवंबर) के अनुसार अमेरिकी न्याय विभाग ने एक ईरानी एजेंट फरहाद शकेरी पर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। शकेरी का संबंध ईरान के सैन्य संगठन पासदारान-ए-इंकलाब (आरजीसी) से है। शकेरी ने यह स्वीकार किया है कि आरजीसी ने उसे यह निर्देश दिया था कि वह 7 अक्टूबर

2024 को ट्रम्प की हत्या कर दे। इस हत्या की योजना बनाने में उसे पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया गया था। 51 वर्षीय शकेरी अपने बचपन में ही अमेरिका आ गया था। डकैती के आरोप में 14 वर्ष की सजा काटने के बाद 2008 में शकेरी को अमेरिका से निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद वह वापस ईरान चला गया था और वहां उसे आरजीसी में नौकरी मिल गई थी। अमेरिकी सरकार ने अदालत में शकेरी के साथ-साथ दो अन्य अमेरिकी नागरिकों कार्लिस्ले रिवेरा और जोनाथन लोडहोल्ट पर ट्रम्प की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है।

ईरान ने अमेरिकी सरकार के इस आरोप का खंडन किया है और यह दावा किया है उसका या आरजीसी का इस साजिश से कोई संबंध नहीं है। इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने दावा किया है कि इस साजिश के पीछे अमेरिका की यहूदी लॉबी का हाथ है। यह लॉबी अमेरिका और ईरान के संबंधों को खराब करना चाहती है। दूसरी ओर, अमेरिकी सरकार ने दावा किया है कि इस साजिश का मुख्य आरोपी फरहाद शकेरी अफगानिस्तान का नागरिक है, जिसे आरईजीसी ने ट्रम्प की हत्या करने का निर्देश दिया था। सरकार ने यह भी दावा किया है कि दो अन्य अमेरिकी नागरिकों कार्लिस्ले रिवेरा और जोनाथन लोडहोल्ट को इस साजिश में लिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जबकि शकेरी अभी भी फरार है और माना जाता है कि वह ईरान में रह रहा है। शकेरी से इनका संपर्क एक अमेरिकी जेल में हुआ था।

गौरतलब है कि 13 जुलाई 2024 को एक बंदूकधारी ने ट्रम्प को अपना निशाना बनाने का प्रयास किया था, लेकिन निशाना चूक जाने के कारण ट्रम्प को मामूली चोट पहुंची थी। पुलिस ने ट्रम्प पर हमला करने वाले व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके अतिरिक्त फ्लोरिडा में एक रैली के दौरान भी ट्रम्प पर हमला करने का प्रयास किया गया था। इन सभी घटनाओं के पीछे ईरान का हाथ होने का दावा किया गया है।

इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट बर्खास्त

उर्दू टाइम्स (7 नवंबर) के अनुसार इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया है। उनके स्थान पर इजरायल के विदेश मंत्री इजरायल काट्ज को नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। विदेशी समाचार एजेंसियों के अनुसार प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गिदोन सार को नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि उन्हें अब गैलेंट पर भरोसा नहीं रहा है। युद्ध के दौरान यह जरूरी है कि देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बीच पूरी तरह से सामंजस्य हो। गौरतलब है कि नेतन्याहू और गैलेंट एक ही पार्टी के नेता हैं। नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि गैलेंट सरकार और मंत्रिमंडल के फैसलों के खिलाफ बयान जारी करते हैं। दूसरी ओर, गैलेंट ने कहा है कि मेरे लिए इजरायल की सुरक्षा और उसका वजूद सर्वोपरि है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर रखा है। मैं अपनी अंतिम सांस तक इस नीति पर अटल रहूंगा। वहीं, नवनियुक्त रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने भी कहा है कि इजरायल और उसके नागरिकों की सुरक्षा को समक्ष रखते हुए मैं नई जिम्मेवारी संभाल रहा हूं। मेरे लिए इजरायल और उसके नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है।

अवधनामा (8 नवंबर) के अनुसार इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हाल ही में गैलेंट ने न्यायपालिका पर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि नेतन्याहू ने भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए अदालतों की निष्पक्षता को खंडित किया है। प्रधानमंत्री के इस फैसले के खिलाफ जनता और सेना में सख्त नाराजगी है। गैलेंट ने इस बात पर जोर दिया था कि जनता की नाराजगी को देखते हुए अदालतों के अधिकार क्षेत्र में संसद के हस्तक्षेप से संबंधित इजरायली मंत्रिमंडल के फैसले को लागू न किया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रक्षा मंत्री की बर्खास्तगी का समाचार सुनते ही तेल अवीव समेत कई शहरों में हजारों

प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि नेतन्याहू फौरन अपने पद से त्यागपत्र दें। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के यरुशलम स्थित आवास पर भी हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया और उनसे त्यागपत्र की मांग की। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।

उग्र प्रदर्शनकारियों ने इजरायली संसद के बाहर भी प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि राष्ट्रीय हित को देखते हुए रक्षा मंत्री की बर्खास्तगी के फैसले को फौरन रद्द किया जाए। बता दें कि इजरायल में न्यायिक सुधार के नाम पर अदालतों पर संसद के वर्चस्व को स्थापित करने के फैसले के खिलाफ लंबे समय से प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि सरकार और न्यायपालिक में संतुलन स्थापित करने के लिए यह सुधार बेहद जरूरी है। उनके विरोधियों का कहना है कि नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और इसकी जांच से बचने के लिए उन्होंने न्यायपालिका को पंगु बना दिया है। बताया जाता है कि इजरायली संसद ने एक कानून पारित किया है। इस कानून के तहत सरकार किसी भी न्यायाधीश के फैसले को कार्यान्वित करने पर रोक लगा सकती है और किसी भी न्यायाधीश को बर्खास्त करके उसके स्थान पर दूसरे न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकती है। अमेरिका और अन्य सहयोगी देशों ने भी इजरायली प्रधानमंत्री के इस फैसले की आलोचना की है।

गौरतलब है कि इजरायली रिजर्व सैनिक यह धमकी दे चुके हैं कि अगर सरकार ने न्यायिक सुधार कानून को वापस नहीं लिया तो वे भविष्य में अपनी सेवाएं नहीं देंगे। इजरायल के विमान चालकों ने भी उनका समर्थन किया है। जबकि नेतन्याहू ने कहा है कि अगर कोई रिजर्व सैनिक या विमान चालक अपनी ड्यूटी से इंकार करता है तो उसके खिलाफ सैन्य अदालत में मुकदमे चलाए जाएंगे।

अवधनामा (3 नवंबर) के अनुसार प्रधानमंत्री नेतन्याहू के प्रवक्ता और सलाहकार समेत अनेक इजरायली उच्चाधिकारियों को गुप्त दस्तावेजों को लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इजरायली जांच एजेंसियां इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कर रही हैं। सरकार ने स्वीकार किया है कि युद्ध की योजना से संबंधित दस्तावेजों के लीक होने के कारण इजरायल के सैन्य लक्ष्यों और राष्ट्रीय सुरक्षा को भारी क्षति पहुंची है। सरकारी एजेंसियों को यह संदेह है कि कुछ उच्चाधिकारियों ने इस दस्तावेज को जर्मन मीडिया और इजरायली पत्रकारों को उपलब्ध कराया है। इसके बाद विश्व के अनेक अखबारों में इजरायल की भावी रक्षा योजना के बारे में विस्तृत समाचार प्रकाशित हुए। सरकारी प्रवक्ता ने गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम और पद के बारे में किसी भी तरह की जानकारी देने से इंकार कर दिया है। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह दावा किया है कि इजरायल की युद्ध योजना की गोपनीयता को भंग करने और उसे मीडिया तक पहुंचाने में प्रधानमंत्री कार्यालय का कोई हाथ नहीं है। कुछ अखबारों ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में कई ऐसे लोग कार्यरत हैं, जो सरकार के नियमित कर्मचारी नहीं हैं। सरकारी सूचना के अनुसार गिरफ्तार किए गए कुछ आरोपी वरिष्ठ श्रेणी के कर्मचारी हैं।

अरब–इस्लामिक देशों के सम्मेलन में इजरायल पर दबाव बढ़ाने की मांग

उर्दू टाइम्स (13 नवंबर) के अनुसार सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित अरब-इस्लामिक देशों के सम्मेलन में यह मांग की गई है कि इजरायल को विश्व में अलग-थलग करने की नीति पर सख्ती से काम किया जाए। इस सम्मेलन में स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र स्थापित करने की भी मांग की गई। इसके अतिरिक्त विश्व के सभी देशों से अपील की गई है कि वे इजरायल को हथियारों की सप्लाई फौरन बंद कर दें। सम्मेलन में लेबनान पर इजरायली हमले की निंदा की गई और कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र और विश्व के देश इन इजरायली हमलों पर लगाम लगाने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। सम्मेलन में कहा गया है कि मध्य पूर्व में स्थाई शांति के लिए यह जरूरी है कि दो देशों के अस्तित्व को मान्यता दी जाए और अरबों के लिए आजाद फिलिस्तीनी राष्ट्र हेतु माहौल बनाया जाए। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के 19 जुलाई 2024 के निर्णय को कार्यान्वित किया जाए।

गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि इजरायल के अवैध कब्जे से फिलिस्तीनी क्षेत्रों को मुक्त किया जाए और युद्ध में प्रभावित हुए लोगों को मुआवजा दिया जाए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने यह भी कहा था कि गाजा पट्टी और अन्य फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर इजरायल के अवैध कब्जे के बाद इजरायली सेना वहां पर रहने वाले लोगों को जबरन उनके घरों से बेदखल कर रही है। इस अभियान को फौरन रोका जाए। इसके अतिरिक्त इजरायली सेना ने जिन लोगों को लापता किया है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उनकी रिहाई के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

उर्दू टाइम्स (12 नवंबर) के अनुसार अरब-इस्लामिक देशों के सम्मेलन में कहा गया कि मुस्लिम जगत इजरायल की आक्रामकता को किसी कीमत पर सहन नहीं करेगा। सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता के लिए यह जरूरी है कि 1967 की सीमा के आधार पर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र का गठन किया जाए, जिसकी राजधानी यरुशलम हो। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब इजरायली नरसंहार को रोकने के लिए

कटिबद्ध है। जबकि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि फिलिस्तीनी जनता को अपने क्षेत्र पर पूरी स्वतंत्रता व स्वायत्तता मिलनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि इजरायल ने फिलिस्तीनी क्षेत्रों में जो अवैध यहूदी बस्तियां बसाई हैं उन्हें मुक्त करवाया जाए। जॉर्डन के बादशाह अब्दुल्ला द्वितीय ने मांग की कि गाजा और जॉर्डन के वेस्ट बैंक पर इजरायली अतिक्रमण को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि अगर इजरायल के आक्रामक कार्रवाईयों को नहीं रोका गया तो इससे विश्वयुद्ध का खतरा बढ़ सकता है।

मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि विश्व की शक्तियों ने इजरायल द्वारा गाजा और लेबनान में किए जा रहे कत्लेआम को रोकने के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया है। इसके कारण इस क्षेत्र और पूरी दुनिया का भविष्य खतरे में पड़ गया है। उन्होंने मांग की कि 1967 की सीमाओं के आधार पर स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना के लिए प्रयास किए जाएं और गाजा व लेबनान में स्थाई युद्धविराम घोषित किया जाए। तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने जोर दिया कि विश्व की शक्तियों को इजरायल पर दबाव डालना चाहिए। जब इजरायल को यह महसूस होगा कि वह दुनिया में अकेला पड़ गया है तो वह अपने आक्रामक कार्रवाईयों को रोक देगा। उन्होंने सभी अरब देशों से अपील की कि वे इजरायल के साथ अपने राजनयिक और व्यापारिक संबंध तोड़ लें। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने लेबनान पर इजरायली हमलों को मानवता के लिए खतरा बताया है। उन्होंने मांग की कि इस पूरे क्षेत्र में फौरन युद्धविराम की घोषणा की जाए।

रोजनामा सहारा (16 नवंबर) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीनी स्वायत्तता का समर्थन किया है और इस संदर्भ में दो प्रस्ताव पारित किए हैं। इन प्रस्तावों में इजरायल से यह मांग की गई है कि वह लेबनान और सीरिया को युद्ध में हुई क्षति का मुआवजा दे और फिलिस्तीनियों को उनके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने की आजादी दे। अमेरिका, इजरायल, अर्जेंटीना, कनाडा, माइक्रोनेशिया, नाउरू और पलाऊ ने दोनों प्रस्तावों के खिलाफ मतदान किया। इस प्रस्ताव को युगांडा के प्रतिनिधि ने पेश किया था। 161 वोटों के साथ इस प्रस्ताव को मंजूर किया गया। जबकि नौ देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।

अवधनामा (13 नवंबर) ने कहा है कि अगर ईरान और सऊदी अरब अपने पुराने मतभेदों को भुलाकर एकजुट हो जाएं तो मुसलमान विश्व में एक अजेय ताकत के रूप में उभर सकते हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि हाल ही में ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान से रियाद में मुलाकात की थी। इसके अतिरिक्त सऊदी अरब के सेना प्रमुख फय्याद अल-रुवैली ने भी ईरान के सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद बाघेरी से तेहरान में मुलाकात की है। इन गतिविधियों के कारण इजरायल और अमेरिका जैसे यूरोपीय देशों की नींद हराम हो गई है। समाचारपत्र ने कहा है कि चीन के प्रयास से इन दोनों देशों के बीच मित्रता का जो माहौल बना है उसे अब ठोस रूप देने की जरूरत है।

रोजनामा सहारा (18 नवंबर) ने अपने संपादकीय में रियाद में आयोजित अरब-इस्लामिक देशों के सम्मेलन के खोखलेपन की आलोचना की है। समाचारपत्र ने कहा है कि मुस्लिम जगत की जनता को यह संदेह है कि उनके शासक फिलिस्तीन समस्या पर गंभीर नहीं है। यही कारण है कि रियाद में आयोजित इस सम्मेलन के निष्कर्षों को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया है। गाजा में 400 दिनों से जारी कत्लेआम को रोकने के लिए कोई भी मुस्लिम देश गंभीर नहीं है। एक ओर तो ऐसे सम्मेलनों में लंबे-चौड़े दावे किए जाते हैं और गरमा-गरम भाषण दिए जाते हैं। दूसरी ओर, यही मुस्लिम देशों के नेता पश्चिमी

देशों के नेताओं के साथ बंद कमरे में जो फैसले करते हैं वे इजरायल और पश्चिमी देशों के दृष्टिकोण से अलग नहीं होते हैं। मुस्लिम जनता यह जानती है कि हमारे इन नेताओं में कोई ठोस कदम उठाने की हिम्मत नहीं है। पिछले साल भी ऐसा ही एक सम्मेलन हुआ था। इसके बाद एक कमेटी भी बनाई गई थी। इस कमेटी का प्रमुख सऊदी अरब के विदेश मंत्री को बनाया गया था। आज तक यह पता नहीं चला कि इस बैठक में जो प्रस्ताव पारित हुए थे उन प्रस्तावों का क्या हुआ? उन्हें लागू क्यों नहीं किया गया? पिछले सम्मेलन में यह भी वायदा किया गया था कि इस्लामिक देश फिलिस्तीनी जनता को आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे, लेकिन आज तक इस पर किसी भी मुस्लिम देश ने कोई कदम नहीं उठाया है। सच्चाई तो यह है कि ये मुस्लिम नेता अपनी जिम्मेवारी से बचने का बहाना ढूंढ रहे हैं।

हिंदुस्तान (14 नवंबर) ने अपने संपादकीय में सऊदी अरब में आयोजित इस्लामिक सम्मेलन की आलोचना की है। समाचारपत्र ने कहा है कि पहले भी अनेक देश इस तरह के प्रस्ताव पारित करते रहे हैं, लेकिन इजरायल ने कभी उस पर अमल नहीं किया। विश्व के मुस्लिम देशों की यह परंपरा रही है कि वे जबानी जमा-खर्च तो खूब करते हैं, लेकिन इजरायल के खिलाफ किसी भी तरह के कदम उठाने से डरते हैं। जो इजरायल संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रस्तावों को रद्दी की टोकरी में फेंक देता है, वह भला इन मुस्लिम शासकों की क्या परवाह करेगा? सऊदी अरब में हुए सम्मेलन का प्रस्ताव पुरानी मांगों और इजरायल की निंदा करने तक ही सीमित है। इस पृष्ठभूमि में देखें तो इस्लामिक सम्मेलन और उसकी घोषणाओं की रत्ती भर भी कीमत नहीं रह जाती है।

समाचारपत्र ने कहा है कि हमास का 'नजरिया-ए-जिहाद' ही इजरायल का इलाज है। जब तक इजरायल को उसी के अंदाज में जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक उसे कोई बात समझ में नहीं आएगी। असली समस्या यह है कि अरब देश इजरायल की सैन्य शक्ति से भयभीत हैं। इजरायल से उलझने की कल्पना मात्र से उनकी रूह कांप जाती है। आज तक अरब देशों या अन्य मुस्लिम देशों ने इजरायल के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की है, क्योंकि ये सब अमेरिका के आज्ञाकारी हैं। यह तथ्य सर्वविदित है कि इजरायल के पीछे पूरी तरह से अमेरिका है। किसी भी मुस्लिम या अरब देश में यह हिम्मत नहीं है कि वह अमेरिका के इशारों पर न चले। इजरायल की असली ताकत अमेरिका है और कोई भी मुस्लिम देश अमेरिका की नाराजगी व दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत नहीं कर सकता है। ■

फिलिस्तीनी हमलावरों के रिश्तेदारों को इजरायल से निष्कासित करने की तैयारी

कौमी तंजीम (9 नवंबर) के अनुसार इजरायली संसद ने एक कानून पारित किया है। इस कानून में इजरायली क्षेत्रों पर हमला करने वाले लोगों के परिवारों को देश से निष्कासित करने का प्रावधान है। इस कानून के पक्ष में 61 और विरोध में 41 वोट पड़े हैं। इस कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इजरायल की भूमि पर हमला करता है तो उसके माता-पिता, पत्नी, बच्चों और भाई-बहनों को अधिकतम 20 साल के लिए इजरायल से निष्कासित कर दिया जाएगा। यह स्पष्ट नहीं है कि यह कानून वेस्ट बैंक पर भी लागू होगा या नहीं। इजरायल वेस्ट बैंक में हमलावरों की पैतृक संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की नीति पर पहले से ही अमल कर रहा है। संसद द्वारा पारित इस कानून में यह भी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई व्यक्ति किसी इजरायली नागरिक पर चाकू से हमला करता है या उसे गोली मारता है या फिर उसे वाहन से कुचलता है तो इस घटना को आतंकवाद माना जाएगा। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्वीर ने कहा है कि इस नए कानून के तहत किसी भी इजरायली नागरिक पर हमले का समर्थन करने वालों पर भी कार्रवाई की जा सकेगी। ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जा सकेगी जो हमले में संलिप्त किसी भी आतंकी संगठन की प्रशंसा करते हैं या फिर उसे प्रोत्साहित करते हैं। इस कानून में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इजरायल से निष्कासित किए जाने वाले लोगों को कहां पर भेजा जाएगा।

एतेमाद (12 नवंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इस कानून के पारित होने से फिलिस्तीनी मुसलमानों का जीवन और अधिक कठिन हो जाएगा, जो पहले से ही इजरायल की आक्रामक कार्रवाईयों के शिकार हैं। इस नए कानून का लक्ष्य फिलिस्तीनियों के प्रतिरोध को कुचलना और उन पर मानसिक दबाव डालना है। इजरायल का यह कानून अंतरराष्ट्रीय नियमों और मानवाधिकारों का भी उल्लंघन करता है। इजरायल इस कानून की आड़ में उन लोगों की आवाज को दबाना चाहता है, जो इजरायल की गुलामी से मुक्ति पाने का प्रयास कर रहे हैं। विश्वभर के मानवाधिकार संगठनों ने इस कानून की निंदा की है और इसे फिलिस्तीनी मुसलमानों के खिलाफ एक अमानवीय कदम करार दिया है। इजरायल ने इस दबाव को मानने से इंकार कर दिया है। इजरायल ने यह दावा किया है कि आतंकवाद के खिलाफ अभियान के लिए इस तरह का कदम उठाना जरूरी है। इससे इजरायल की सुरक्षा सुदृढ़ होगी।

सऊदी अरब में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान

सियासत (8 नवंबर) के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक प्राधिकरण 'नाजहा' ने देशभर में भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार अभियान छेड़ दिया है। नाजहा ने सऊदी सेंट्रल बैंक और प्रेसीडेंसी ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के सहयोग से एक सऊदी नागरिक खालिद इब्राहिम अल-जरीवी को गिरफ्तार किया है। अल-जरीवी पर स्थानीय बैंक के एक कर्मचारी के सहयोग से बैंकिंग व्यवस्था में धोखाधड़ी करके

493 मिलियन सऊदी रियाल के गबन का आरोप है। बताया जाता है कि आरोपी ने बैंक कर्मचारियों के सहयोग से संपत्ति से जुड़े फर्जी दस्तावेज बैंक में जमा कराए। भ्रष्ट बैंक कर्मचारियों ने इन फर्जी दस्तावेजों की पुष्टि की और आरोपी को 100 मिलियन सऊदी रियाल का कर्ज दिया। आरोपी ने इस रकम से अपने रिश्तेदारों के नाम पर जमीन खरीदा और शेष राशि को गैर-कानूनी तरीके से विदेशों में भेजा। इस हेराफेरी में उसे सहयोग देने के आरोप में तीन बैंक कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में एक सऊदी नागरिक मोहम्मद गाजी और उसके दो अन्य सहयोगियों अब्दुल मलिक अहमद कायद और अब्दुल्ला अब्दो कासिम को भी गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों आरोपी यमन के नागरिक हैं। उन्होंने जेद्दा बंदरगाह पर आने वाले तंबाकू से भरे एक कंटेनर पर लगाए गए 72 लाख रियाल के सीमा शुल्क को अदा करने से बचने के लिए सऊदी अधिकारियों को 15 लाख की रिश्वत दी थी। इन भ्रष्ट अधिकारियों ने आयात से संबंधित दस्तावेजों में तंबाकू के बजाय टिशू पेपर का उल्लेख कर दिया। जांच के बाद भ्रष्टाचार निरोधक प्राधिकरण की टीम ने एक गोदाम पर छापा मारकर विदेशों से भारी मात्रा में मंगवाए गए तंबाकू को बरामद किया। वहीं, एक अन्य मामले में एक सूडानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया

है। इस व्यक्ति ने जेद्दा बंदरगाह पर चार टन तंबाकू गैर-कानूनी तरीके से पास कराने के बदले में संबंधित कर्मचारी को एक कार और 20 हजार रियाल रिश्वत के रूप में दिए थे।

रोजनामा सहारा (2 नवंबर) के अनुसार सऊदी अरब सरकार ने देश से गद्दारी करने और आतंकवादी गतिविधियों में हिस्सा लेने के आरोप में दो लोगों को मौत की सजा दी है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार दोनों सऊदी आरोपियों ने यह स्वीकार किया है कि उनका संबंध एक आतंकवादी संगठन से है। इन दोनों ने यह भी स्वीकार किया है कि इन्होंने विदेशी इशारे पर जासूसी की और देश में हिंसक गतिविधियां करने की कोशिश की। इसके अतिरिक्त एक अन्य व्यक्ति को मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में मौत की सजा दी गई है। सीरिया के इस नागरिक ने सऊदी अरब में मादक पदार्थों की तस्करी की थी। ताजा समाचारों के अनुसार जल्लाद ने भारी भीड़ के सामने इन तीनों आरोपियों को मौत के घाट उतार दिया है।

कतर द्वारा इजरायल और हमास के बीच मध्यस्थता का प्रयास स्थगित

औरंगाबाद टाइम्स (11 नवंबर) के अनुसार कतर ने इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम और बंधकों की रिहाई के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाने के प्रयास को स्थगित कर दिया है। कतर ने यह स्पष्ट किया है कि जब हमास और इजरायल दोनों इस संदर्भ में वार्ता करने की इच्छा जताएंगे तो हम फिर से अपना प्रयास शुरू कर देंगे। अमेरिका चाहता है कि कतर हमास के नेताओं को अपने देश में शरण न दे, क्योंकि फिलिस्तीनी प्रतिरोधी समूह युद्धविराम में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं और वे गाजा में युद्धविराम से संबंधित प्रस्तावों को रद्द कर चुके हैं।

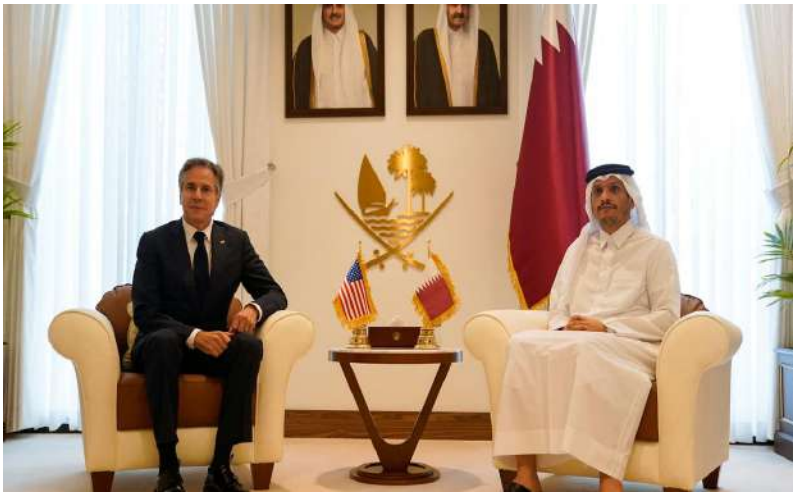

गौरतलब है कि कतर ने इससे पहले अक्टूबर महीने में भी हमास और इजरायल के बीच वार्ता करवाने का प्रयास किया था, जिसे हमास ने ठुकरा दिया था। हमास के नेताओं का कहना था कि वे अस्थाई युद्धविराम के पक्ष में नहीं हैं। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री ने यह स्पष्ट किया था कि सात अक्टूबर 2023 को हमास के इजरायल पर हमले के बाद किसी भी देश को हमास के प्रति नरम रवैया अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अमेरिका ने कतर को यह निर्देश दिया था कि वह हमास के नेताओं को अपने देश से चले जाने का निर्देश दे, लेकिन कतर ने ऐसा नहीं किया।

अवधनामा (10 नवंबर) के अनुसार अमेरिका ने कतर पर दबाव डाला है कि वह हमास के राजनीतिक प्रकोष्ठ को कतर में अपनी गतिविधियां बंद करने का आदेश दे। अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा कि हम कतर में हमास या अन्य किसी आतंकी संगठन के वजूद को सहन नहीं कर सकते। दूसरी ओर, हमास के तीन वरिष्ठ नेताओं ने इस बात का खंडन किया है कि कतर सरकार ने उन्हें अपने देश से बोरिया-बिस्तर बांधने का निर्देश दिया है। राजनीतिक प्रयवेक्षकों का मानना है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद कतर सरकार पर अपने देश में हमास के कार्यालय को बंद करने का दबाव बढ़ेगा।

रोजनामा सहारा (31 अक्टूबर) के अनुसार हमास के वरिष्ठ नेता समी अबू जुहरी ने घोषणा की है कि जब तक इजरायल गाजा से अपने सैनिकों को पूरी तरह से नहीं हटाता तब तक हमास उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। गौरतलब है कि हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के निदेशक और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख ने दोहा में कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। बताया जाता है कि इन दोनों अधिकारियों ने कतर के प्रधानमंत्री से कहा कि हमास ऐसी शर्तें लगा रहा है, जिसे इजरायल कभी स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में समझौते की वार्ता को जारी रखने का कोई लाभ नहीं है।

इंकलाब (6 नवंबर) के अनुसार इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधक बनाए गए नागरिकों को छोड़ने के बदले हमास को लाखों डॉलर देने और अपहरणकर्ता या उनके परिवारजनों को विदेश जाने के लिए सुरक्षा की गारंटी देने की भी पेशकश की है। यह समाचार इजरायल के प्रमुख अंग्रेजी अखबार 'टाइम्स ऑफ इजरायल' में प्रकाशित हुआ है। समाचारपत्र ने लिखा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के एक उच्चाधिकारी ने यह पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास से यह पेशकश की थी। यह फैसला इजरायली मंत्रिमंडल की एक बैठक में लिया गया था, लेकिन हमास ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

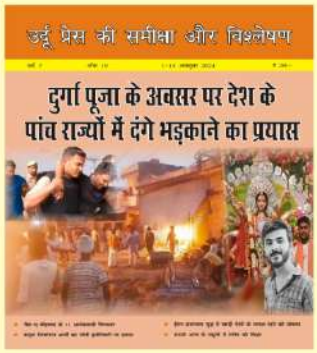

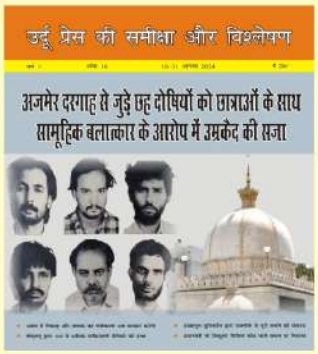

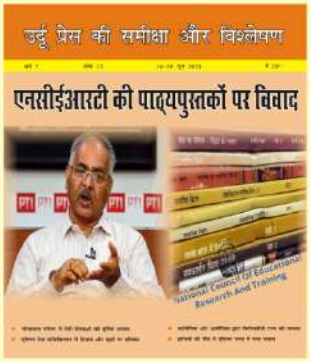

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in